4.5 क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति अनुबन्ध (Contracts of Indemnity and Guarantee)

क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Contracts of Indemnity) - भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 124 के अनुसार, "क्षतिपूर्ति अनुबन्ध एक ऐसा अनुबन्ध है, जिसके अन्तर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण द्वारा होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है।" (Contract of indemnity is a contract whereby one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the premiser himself or by the conduct of any other person.)

इसे 'हानि-रक्षा अनुबन्ध' भी कहा जाता है, इस प्रकार के अनुबन्ध में जो पक्षकार हानि की पूर्ति करने का वचन देता है उसे 'हानि-रक्षाधारी' (Indemnify holder) कहते हैं।

उदाहरण- A, B को वचन देता है कि C द्वारा 2000 रुपये की वसूली के सम्बन्ध में की जानेवाली कार्यवाही के फलस्वरूप उसे जो भी हानि होगी वह (A) उसकी पूर्ति करेगा। यह एक क्षतिपूर्ति अनुबन्ध है। इसका A हानि रक्षक एवं B हानि-रक्षाधारी है।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार केवल वे ही अनुबन्ध क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध कहे जायेंगे जिनमें किसी ऐसी हानि की पूर्ति किये जाने का वचन हो जो हानि रक्षक अथवा किसी व्यक्ति के आचरण के कारण उत्पन्न होती है, वह अनुबन्ध, जो किसी दुर्घटना के कारण हुई हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है (जैसे- अग्नि बीमा अनुबन्ध) क्षतिपूर्ति का अनुबन्ध नहीं कहलाता।

Scanned with CamScanner

किन्तु यह बात सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि बीमा अनुबन्ध (जीवन बीमा को छोड़कर) मूलतः क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध कहे जाते हैं। अतः भारतीय न्यायालय इस परिभाषा को पूर्ण न मानते हुए इस सम्बन्ध में अंग्रेजी कानून का सहारा लेते हैं, जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति अनुबन्ध एक ऐसा अनुबन्ध है जिसके अन्तर्गत, "किसी निर्दोषा व्यक्ति को एक ऐसे लेन-देन के कारण हुई हानि से बचाने का वचन दिया जाता है जो वचनदारी के अनुरोध पर किया गया हो" क्षतिपूर्ति अनुबन्ध की यह एक व्यापक परिभाषा है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा हुई हानि ही नहीं वरन् किसी घटना के फलस्वरूप हुई हानि की की पूर्ति के वचन को भी क्षतिपूर्ति अनुबन्ध माना जाता है।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में निम्नलिखित विशेषताएँ या लक्षण पाये जाते हैं।

(i) क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध के द्वारा क्षतिपूर्ति का स्पष्ट वचन दिया जाता है अर्थात् कोई गर्भित वचन क्षतिपूर्ति का वचन नहीं होता।

(ii) ऐसे अनुबन्ध में ऐसी हानि को क्षतिपूर्ति करने के लिए हानि रक्षक द्वारा हानिरक्षाधारी को वचन दिया जाता है जो हानिरक्षाधारी के स्वयं के व्यवहार अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचे अर्थात् क्षतिपूर्ति करने का वचन किसी घटना के कारण हुई हानि के लिए नहीं होता।

4.6 हानिरक्षाधारी के अधिकार (Right of Indemnity-holder)

अनुबन्ध अधिनियम की धारा 125 के अनुसार, यदि क्षतिपूर्तिधारी ने अपने प्रदत्त अधिकार के अनुसार ही कार्य किया है एवं वचनदाता के निर्देश को नहीं बदलता है तो उसे क्षतिपूर्ति करने वाले पक्षकार के विरूद्ध निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं-

(1) वह हर्जाना की राशि जो उसे ऐसे बाद के सम्बन्ध में देना पड़े जिस पर क्षतिपूर्ति का वचन लागू होता है।

(2) वे सारे व्यय जो उसने इस प्रकार के बाद को प्रस्तुत करने या उसका प्रतिवाद करने में किये हों, अथवा ऐसी रकम जो ऐसे वाद की शर्तों के अनुसार चुकानी पड़े।

(3) वह रकम प्राप्त करने का अधिकार जो उसने इस प्रकार के बाद सम्बन्ध में हुई समझौता की शर्तों के अन्तर्गत चुकायी हो, बशर्ते की समझौता हानि रक्षक के आदेशों के प्रतिकूल नहीं है तथा ऐसा है जो कि हानि-रक्षाधारी क्षतिपूर्ति अनुबन्ध के अभाव में विवेकपूर्ण काम करते हुए अपने लिए करता।

4.6.1 हानिरक्षक के अधिकार (Right of Indemnifier) -

हानिकारक अनुबन्ध के अन्तर्गत जब हानि रक्षाधारी की क्षतिपूर्ति कर देता है तो उसे उन सभी उपायों एवं साधनों (Means) को पाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिनसे हानि रक्षाधारी अपनी हानि को बचा सकता था।

4.7 प्रत्याभूति अनुबन्ध (Contract of Guarantee)

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 126 के अनुसार, "प्रतिभूति का अनुबन्ध एक ऐसा अनुबन्ध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति की क्षति की दशा में उसके (तीसरे व्यक्ति) वचन का निष्पादन करने तथा उसके दायित्वों को पूरा करने का वचन देता है।" (A contract Guarantee is a contract to perform the promise of discharge the liability of a third party in case of his default.)

वह व्यक्ति जो प्रतिभूति देता है 'प्रतिभूति' (Surety) कहलाता है। यह व्यक्ति जिसकी त्रुटि के लिए प्रतिभूति दी जाती है, 'मूल ऋणी' (Principal Debtor) कहलाता है। वह व्यक्ति जिसे प्रतिभूति दी जाती है, 'ऋणदाता' (Creditor) कहलाता है।

Scanned with CamScanner

उदाहरण- A, B से कहता है कि वह C को तीन माह के लिए 5000 रुपये का ऋण दे दे और उस वचन देता है कि अगर C समय पर ऋण का भुगतान नहीं करेगा तो वह स्वयं उसका भुगतान कर देगा। A, B के मध्य यह एक प्रत्याभूति अनुबन्ध है। इसमें A प्रतिभूति है। C मूल ऋणी एवं B ऋणदाता।

प्रत्याभूति किसी ऋण के भुगतान, उधार बेचे गए माल का मूल्य चुकाने अथवा किसी कर्मचारी की ईमानदारी या अच्छे आचरण के सम्बन्ध में दी जाती है। वैसे यह किसी वैध वचन के निष्पादन के लिए दी जा सकती है। भारत में इसे लिखित होना अनिवार्य नहीं है। यह मौखिक भी हो सकती है।

4.7.1 प्रत्याभूति अनुबन्ध के लक्षण (Characteristics of Contract of Guarantee) -

सामान्य अनुबन्धों की तरह प्रत्याभूति अनुबन्ध में भी एक वैध अनुबन्ध के सभी आवश्यक तत्त्व विद्यमान होना चाहिए, किन्तु निम्नलिखित लक्षणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए-

(i) प्रत्याभूति अनुबन्ध के लिए तीनों पक्षों प्रतिभू, मूलऋणी एवं ऋणदाता की सहमति होना आवश्यक है।

(ii) यदि मूल ऋणी अनुबन्ध करने की क्षमता नहीं भी रखता है, तब भी उसके लिए दी गयी प्रत्याभूति वैध होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्याभू को ही मूल ऋणी माना जाता है और भुगतान के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है।

(iii) प्रत्याभूति अनुबन्ध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है, किन्तु यह जरूरी नहीं है कि वह प्रतिफल प्रत्याभू के लिए किसी लाभ के रूप में ही हों। मूल ऋणी के लिए किया गया कोई कार्य या उसके या उसके लाभ के लिए दिया गया कोई वचन ही प्रत्याभू के लिए पर्याप्त प्रतिफल है।

(iv) जिस दायित्व के सम्बन्ध में प्रत्याभूति दी गई है वह कानून द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। यदि किसी दायित्व को कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उसके लिए दी गई प्रत्याभूति वैध नहीं मानी जायेगी।

4.8 क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति अनुबन्ध में अन्तर (Difference between Contract of Indemnity and Guarantee)

(i) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में वचनदाता द्वारा वचनगृहीता को ऐसी हानियों से बचने का वचन दिया जाता है जो वचन-गृहीता वचनदाता से स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचती है। प्रत्याभूति अनुबन्ध में प्रतिभू (Surety) ऋणदाता को वचन देता है कि यदि मूल ऋणी अपने वचन का निष्पादन नहीं करेगा, तो वह स्वयं उसकी ओर से ऐसा कर देगा।

(ii) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में केवल दो पक्ष होते हैं, हानि रक्षक एवं हानि रक्षाधारी। किन्तु प्रत्याभूति अनुबन्ध में तीन पक्ष होते हैं, मूल ऋणदाता, ऋणी तथा प्रतिभू।

(iii) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में हानि-रक्षक तथा हानि-रक्षाधारी के बीच केवल एक मौलिक अनुबन्ध होता है। किन्तु प्रत्याभूति अनुबन्ध होते हैं- मुख्य ऋणी एवं ऋणदाता के मध्य, (ii) ऋणदाता एवं प्रतिभू के मध्य और (iii) प्रतिभू एवं मुख्य ऋणी के मध्य एक गर्भित अनुबन्ध।

(iv) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में किसी सम्भाव्य घटना के घटित होने पर ही हानि रक्षक का दायित्व निश्चित होता है। किन्तु प्रत्याभूति अनुबन्ध में एक निश्चित ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन की प्रत्याभूति दी जाती है जो विद्यमान है।

Scanned with CamScanner

(v) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध का उद्देश्य हानि-रक्षाधारी को सम्भाव्य हानि से बचाना होता है। किन्तु प्रत्याभूति अनुबन्ध का उद्देश्य मूल ऋणों के वचन के निष्पादन की जमानत देना होता है।

(vi) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध के अन्तर्गत हानि-रक्षक का दायित्व प्रथम (Primary) एवं स्वतंत्र होता है। लेकिन प्रत्याभूति अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रतिभूति का दायित्व गौण एवं दूसरा (Secondary) होता है, जो मूल ऋणी द्वारा अपने दायित्व को पूरा न करने की स्थिति में ही उत्पन्न होता है।

(vii) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में हानि-रक्षक हानि की रकम का भुगतान कर देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति पर अपने नाम से कोई दावा नहीं कर सकता, जबतक कि यह अधिकार उसे स्पष्ट रूप से हस्तांतरित न कर दिया गया हो। जबकि, प्रत्याभूति अनुबन्ध में प्रत्याभू, ऋणदाता को भुगतान करने के बाद स्वयं ऋणदाता की स्थिति में आजाता है और उसे मूल ऋणों के विरूद्ध अपने नाम से दावा करने का पूर्ण अधिकार मिल जाता है।

(viii) क्षतिपूर्ति अनुवन्ध में हानि-रक्षक का प्रायः कोई व्यक्तिगत हित (जैसे प्रीमियम मिलना) होता है। किन्तु प्रत्याभूति अनुबन्ध में साधारणतया कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता। उसका मुख्य अभिप्राय मूल ऋणों की सहायता करना है।

(ix) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध का क्षेत्र सीमित है क्योंकि इसमें प्रत्याभूति अनुबन्ध सम्मिलित नहीं होता। दूसरी ओर प्रत्याभूति अनुवन्ध का क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक है क्योंकि इसमें हानि-रक्षा का अनुबन्ध भी सम्मिलित होता है।

Scanned with CamScanner